संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–उन्नाव में बाँगरमऊ ब्लॉक में वर्ष 2015–16 में राज्य योजना सामान्य के अन्तर्गत में बिलग्राम–उन्नाव– इलाहाबाद (राज्य मार्ग सं0–38) के चैनेज 37.170 से 39.780 (बाँगरमऊ आबादी भाग) के चौड़ीकरण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

उपरोक्त में 2610 मी0 लम्बाई में तथा 12 मी0 चौड़ाई में 3.132 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसका संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.05.2016 को श्री सुनीत कुमार तिवारी, अवर अभियन्ता एवं श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, उन्नाव तथा श्री डी0डी0 पाल, उपराजिक सेक्शन अधिकारी, श्री रमेश चन्द्र भट्ट, क्षेत्रीय वनाधिकारी, बाँगरमऊ एवं उन्नाव, श्री उदय वीर सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, बाँगरमऊ, उन्नाव की उपस्थिति में किया गया है। उक्त प्रभावित क्षेत्र गंगा का किनारा न होने के कारण भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग नहीं है तथा किसी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक अथवा रक्षा प्रतिष्ठान या अन्य किसी महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र, परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है तथा कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। मार्ग पर पड़ने वाले वन भूमि की जी0पी0एस0 लोकेशन निम्न प्रकार है:–

N 26° 54' 16.40"	N 26° 53' 40.16"	N 26° 52' 51.54"
E 80° 12'40.74"	E 80° 12'49.98"	E 80° 13'0.69"

(इं0 सुनीत कुमार तिवारी)
अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, उन्नाव

(इं0 अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, उन्नाव

(डी0डी0 पाल)
उपराजिक सेक्शन अधिकारी, बांगरमऊ
उन्नाव

7/5/16

(रमेश चन्द्र भट्ट)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बांगरमऊ रेन्ज, बाँगरमऊ, उन्नाव

7/5/16

(इं0 एम0पी0 चौरसिया)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, उन्नाव

(उदय वीर सिंह)
उपप्रभागीय वनाधिकारी,
बांगरमऊ, सा०वा०व० प्रभाग
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

(बी0के0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सा0वा0व0 प्रभाग, उन्नाव, उन्नाव

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For The Protected Forest Land to be Diverted under F.C.Act, 1980)

A proposal has been received by this office from अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव for Diversion under Forest (Conservation) Act, 1980 of **3.132 Hact.** Of Protected forest land for non-forest purpose. The project envisages the use of Protected forest land for Establishment of बिलग्राम–इलाहाबाद मार्ग रा0 राजमार्ग संख्या–38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण की परियोजना।

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 03.06.2016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a संरक्षित वन measuring **3.132 Hact.**

The requirement of forest land as propsed by the user Agency in Col. 2 Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. (हाँ)

Weather any rare/endangered/unique species of flora and funa found in the area.

If, so the details of (नहीं)

Weather any protected aechcological/heritage e site/defence establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required. (Not Present)

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act.-1980 and no work has been started without proper sanction. (हाँ)

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act.-1980 provision, A Detail report as per Para 1.90 of Chapter 1, Para C of Handbook of Forest (Conservation) Act.-1980 is Attached. (नहीं)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is **recommended** accordingly.

Place : Unnao

Date : 03.06.2016

(V.K.Misra)
Social Forestry Division
Unnao

(5)

मानक शर्तें

वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या–731/14–3–081/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही हो और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करें अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि एवं बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगा। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि (आटोमेटिक) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं0–606 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा व शर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों में प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि इस पर भी पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार की कोई अन्य शर्ते लगायी जाती हैं तो यह याचक को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का कड़ाई से पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

अधिशासी अभियन्ता
नि0खं0 न0–1, लो0नि0वि0
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

6

CHECK LIST SERIAL NUMBER:

Full Title of the Project : बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद राजमार्ग संख्या–38 के किमी0 37.170 से 39.900 के मध्य लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 3.132 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 197 वृक्षों के पातन की अनुति से सम्बन्धित परियोजना।

Proposal No.: FP/UP/Road/18863/2016

Date of Proposal : 26.04.2016

"LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO (T)"

This is to certify that **3.132 ha.** Land bearing Survey No/Compartment No ------- of **Village-** नवाबाद ग्रन्ट वन ब्लाक, **Tehsil-** बाँगरमऊ **District-** उन्नाव। identified for Compensatory Afforestation is suitable for plantation from management point of view and is free and all sorts of encumbrances and encroachments.

(V.K. Misra)
Divisional Forest Officer
Unnao Forest Division

Place-उन्नाव।
Dated-18.06.2016

(7)

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि भुगतान हेतु वचनबद्धता
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–उन्नाव में बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद (राज्य मार्ग सं0–38) के चैनेज 37.170 से 39.780 (बॉगरमऊ आबादी भाग) का चौड़ीकरण के कार्य हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि वन विभाग को देने की वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

2

प्रभावित वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू के भुगतान की वचनबद्धता एवं एन0पी0वी0 में बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–उन्नाव में बिलग्राम–उन्नाव–इलाहाबाद (राज्य मार्ग सं0–38) के चैनेज 37.170 से 39.780 (बॉगरमऊ आबादी भाग) का चौड़ीकरण के कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य वन विभाग को देने की वचनबद्धता दी जाती है।

साथ ही वन विभाग द्वारा दिये गये विस्तृत प्राक्कलन में उ0प्र0 शासन या भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की वृद्धि होती है, तो एन0पी0वी0 में बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता दी जाती है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

संलग्नक-

वन स्वरूप से आच्छादित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत अधिशार्ष अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बिलग्राम-इलाहाबाद रा0 राजमार्ग संख्या-38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य प्रभावित 3.132 हे0 संरक्षित वन भूमि वन स्वरूप से आच्छादित नहीं है।

जनपद- उन्नाव
दिनांक- 18/06/2016

(वी0के0 मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

VAN VIBHAG

MISCELLANEOUS

February 10, 1960

No. 3115/XIV—331-60.—Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :

Schedule

District	Serial no.	Name of road	Mileage to be declared as Reserve or Protected Forest — From (M. F. Ft.)	To (M. F. Ft.)	Description of boundary
1	2	3	4	5	6
1. Meerut	1	Meerut-Baghpat Road	5 0 0	21 2 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2	Baghpat-Saharanpur	1 0 0	24 2 0	Ditto.
	3	Baraut-Chaprauli	1 0 0	9 0 0	Ditto.
	4	Baghpat-Loni Shadra	0 0 0	17 2 200	Ditto.
	5	Meerut-Mawana	2 0 0	17 0 0	Ditto.
	6	Meerut-Bulandshahr	2 0 0	20 0 0	Ditto.
	7	D. K. M. Road	41 0 0	55 0 0	Ditto.
	8	G. T. Road	[illegible] 0 0	875 0 0	Ditto.
	9	Begamabad-Bamnauli	1 0 0	6 0 0	Ditto.
	10	Muradnagar Railway Feeder	0 0 0	0 2 106	Ditto.
	11	Modi Nagar R. Daisy Feeder	0 0 0	0 0 040	Ditto.
	12	[illegible]	0 0 0	0 4 10	Ditto.
	13	Meerut-Sardhana Road	2 0 420	12 0 222	Ditto.
	14	Daurala-Sardhana	0 0 0	0 4 250	Ditto.
	15	Bulandshahr-Siana	23 0 0	31 and mile 32 fg. 1 to 3 1 200	Ditto.
	16	Meerut-Bareilly Road	20 0 0	21 3 200	Ditto.
	17	Bulandshahr [illegible]	[illegible] 4 0	28 5 0	Ditto.
				5 3 0	
	18	G. T. Road (Uttar Pradesh Border)	[illegible] 0 [illegible]	850 2 70	Ditto.
				[illegible] 1 251	
	19	[illegible]	1 0 0	21 0 249	Ditto.
				[illegible] 6 333	
	20	[illegible]	[illegible]	12 4 70	Ditto.
2. Muzaffarnagar	1	[illegible]	[illegible]	30 0 0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2	Khatauli-[illegible]	From Khatauli to mile 24 0 0	2 0 31	Ditto.
	3	Muzaffarnagar-Shamli-Kairana	2 0 0	31 0 0	Ditto.
	4	Muzaffarnagar-Saharanpur	Mile 75 of D. K. M. Road to mile 10 of Muzaffarnagar-Saharanpur Road.		Ditto.
	5	Muzaffarnagar-Bijnore	Mile 75 D. K. M. to mile 21 of Bijnore road.		Ditto.
	6	Morna Shukartal	0 0 0	5 0 0	Ditto.
	7	Muzaffarnagar-Budhana	From village Tauli to mile stone 7 to Budhana.		Ditto.
	8	Muzaffarnagar-Baghpat-Saharanpur Road	24 0 0	55 3 0	Ditto.
3. Saharanpur	1	Saharanpur-Baghpat-Delhi Road	1 0 240	55 7 0	Boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2	Saharanpur-Chakrata Road	0 1 460	28 0 0	Ditto.
	3	Delhi-Roorkee-Mussoorie Road	19 0 0	128 0 0	Ditto.
	4	Saharanpur-Dehra Dun Road	0 0 0	14 0 130	Ditto.
	5	Saharanpur-Nakur-Gangoh Road	1 4 330	27 3 230	Ditto.
	6	Gangoh-Titron Road	2 2 0	8 7 270	Ditto.
	7	Roorkee-[illegible] Road	0 0 0	0 4 14	Ditto.
	8	Roorkee Railway Feeder	0 0 0	0 4 [illegible]	Ditto.
	9	Roorkee By-pass Road	0 0 0	2 0 127	Ditto.
	10	Roorkee-Landhaura	0 0 0	[illegible]	Ditto.
	11	Roorkee-Landhaura	0 0 0	0 7 440	Ditto.
	12	[illegible] Road	0 0 0	0 5 140	Ditto.
	13	Railway Feeder [illegible] Saharanpur	0 0 0	0 2 320	Ditto.
	14	Roorkee-Hardwar Road	0 0 0	5 0 0	Ditto.
			31 0 0	15 0 0	Ditto.
			16 0 0	18 0 0	Ditto.
	15	[illegible] Bridge By-pass Road	0 0 0	[illegible]	Ditto.
	16	[illegible] Road	0 0 0	[illegible] 0 [illegible]	Ditto.
	17	[illegible] Ambala Road	0 0 0	39 0 [illegible]	Ditto.
			14 miles 5 fg. 218 ft.		
	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ditto.
			47 miles 1 fg. [illegible] ft.		

प्रमाणित [illegible]

[illegible]

Name of Project :-Widening of Bilgram-Unnao- Allahabad Road, S.H.-38 (Ch.37.170 to 39.900) of Unnao district in state of Uttar Pradesh

Certificate of Muck Disposal

This is certify that for Widening of Bilgram-Unnao- Allahabad Road, S.H.-38 (Ch.37.170 to 39.900) of Unnao district in state of Uttar Pradesh a total quantity of 11553.00 cum excavated materials will be generated due to roadway excavation in widening. The entire quantity excavated material will be reused for Divider and earthen shoulder of the project road and therefore no disposal is required.

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 नं0-1, लो0नि0वि0
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Name of Project :-Widening of Bilgram-Unnao- Allahabad Road, S.H.-38 (Ch.37.170 to 39.900) of Unnao district in state of Uttar Pradesh

DELAIL OF MUCK DISPOSEL SITES

S.No	Location of dumping yard	Owner of land	Khasra No	Area (Hact)	Height of dumping zone (m)	Capacity of dumping zone	Longitude/Latitude
←				NIL			→

This is not applicable for this project

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० न०-1, लो०नि०वि०
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Name of Project :-Widening of Bilgram-Unnao- Allahabad Road, S.H.-38 (Ch.37.170 to 39.900) of Unnao district in state of Uttar Pradesh

MUCK DISPOSEL PLANNING

This is not applicable for this project

]=[	Details	Quantity	Unit
	Material received from hill side		Cum
	Material received from hill side cutting including 40%of swell factor		Cum
	Total		Cum
	Disposal and Use Material		Cum
1	R.R. Stone masonry laid 1:5		Cum
2	R.R. Stone masonry laid dry		Cum
3	Hand packed Stone filling	NIL	Cum
4	Construction of wire crate		Cum
5	Construction of Parapet		Cum
6	Granular of sub base/base/surface		Cum
7	Construction of scrapper		Cum
8	Construction of road side drain		Cum
9	Super elevation and patri filling		Cum
10	Concrete work		Cum
11	**Total**		Cum
12	Material Disposal by Cartage		Cum

Summary of Debris Disposal

S.No	Total Material	Material Disposal	Reused material for road construction	Total Disposal in dumping zone
		NIL		

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण ... लो०नि०वि०

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Line Plan

Widening of Bilgram-Unnao- Allahabad Road,(Ch.37.170 to 39.780) S.H.-38

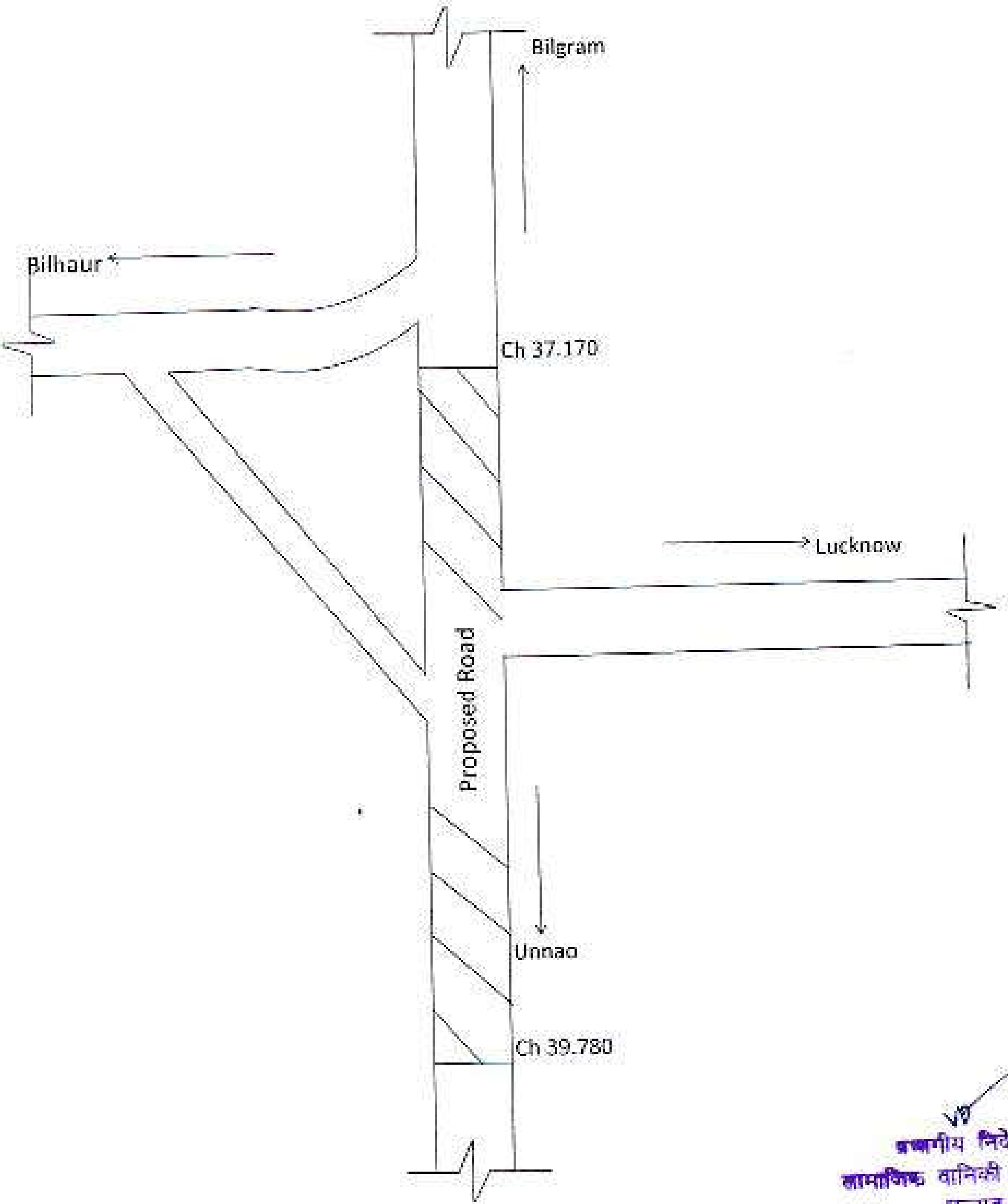

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

J.E.	A.E.	E.E.
C.D.-1 P.W.D.	C.D.-1 P.W.D.	C.D.-1 P.W.D.
Unnao	Unnao	Unnao

Georeferenced Map of Proposed Protected Forest Land for Diversion For Widening of SH-38 (Bilagram-Unnao-Allahabad) Road from CH. 37.170 to 39.780 in Unnao District

13

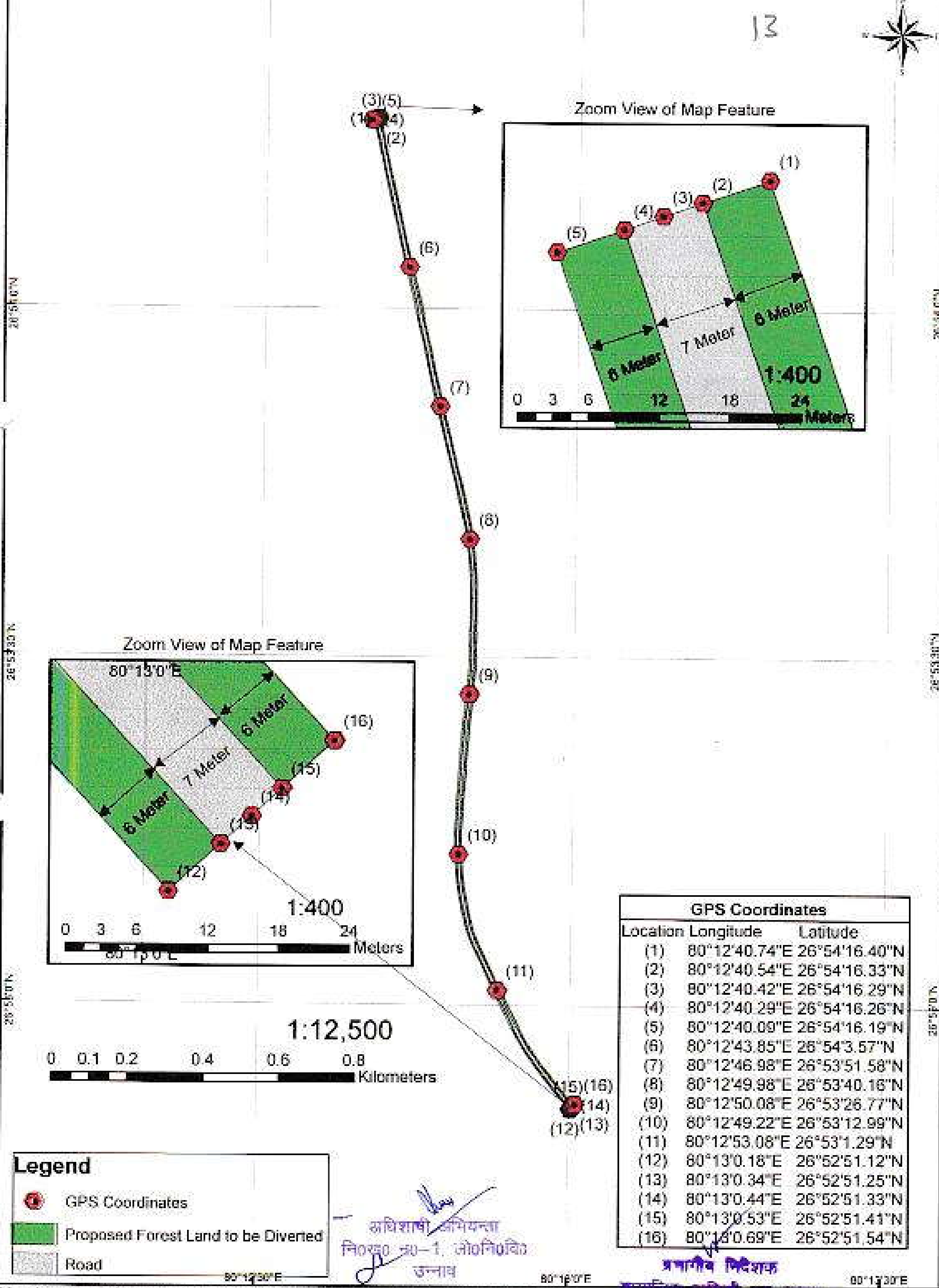

GPS Coordinates		
Location	Longitude	Latitude
(1)	80°12'40.74"E	26°54'16.40"N
(2)	80°12'40.54"E	26°54'16.33"N
(3)	80°12'40.42"E	26°54'16.29"N
(4)	80°12'40.29"E	26°54'16.26"N
(5)	80°12'40.09"E	26°54'16.19"N
(6)	80°12'43.85"E	26°54'3.57"N
(7)	80°12'46.98"E	26°53'51.58"N
(8)	80°12'49.98"E	26°53'40.16"N
(9)	80°12'50.08"E	26°53'26.77"N
(10)	80°12'49.22"E	26°53'12.99"N
(11)	80°12'53.08"E	26°53'1.29"N
(12)	80°13'0.18"E	26°52'51.12"N
(13)	80°13'0.34"E	26°52'51.25"N
(14)	80°13'0.44"E	26°52'51.33"N
(15)	80°13'0.53"E	26°52'51.41"N
(16)	80°13'0.69"E	26°52'51.54"N

Map is prepared on the basis of GPS Coordinates provided by User Agency

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

12

FORM-1
(for linear Projects)
Government of U.P.

Office of the District Collector, Unnao

No. 57 18 /14-1 (DFO, Unnao)

Date 27-6-16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter. No.11-9/98-FC (pt.) dated 28-10-2014, where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recogrution of ForestRights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the "Plantations which were notified as Forest" proposed to be diverted for non-forest purposes.

It is certified that **3.132 ha. area situated Alongwith S.H.-38 Ch. 37.1702 to 39.780 in Unnao District "Plantation notified as Protected Forest** proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for Public Work Department (purposed for diversion of Protected forest) for Construction of 4-lane widening of S.H.- 38 (Bilgram-Allahabad Road)

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and pre Agriculture communities and the Plantations is declered Protected forest on 23.08.1955 which is less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in kasba Bangarmau, Tehsil and Pargana Bangarmau, District Unnao having no recorded population of Scheduled Tribes as per the census of 2001 and 2011.

27/6/16

(Saumya Agarwal)
District Magistrate/Collector
Unnao

DISTRICT MAGISTRATE UNNAO

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
उन्नाव

28

Bri-591

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

District	Road	From M.	Fg.	ft.	To M.	Fg.	ft.	Remarks
22. Pilibhit	1. Bareilly-Pilibhit Nepal Road	30	5	0	50	[illegible]	0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2. Pilibhit-Jahanabad Road	2	0	0	[illegible]	2	0	Ditto.
	3. Bisalpur-Bilsanda Road	0	1	0	16	2	330	Ditto.
	4. Pilibhit-Gajraula	0	0	0	9	2	348	Ditto.
	5. Pilibhit-Bisalpur Road	22	5	0				Ditto.
	6. Khatima-Jhanker Road	4	4	0		[illegible]		Ditto.
23. Badaun	1. Badaun-Chandausi Road	1	0	0	22	0	0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2. Badaun-Dataganj Road	7	0	0	10	1	[illegible]	Ditto.
	3. Badaun-Qadar Chowk Road	1	0	0	15	0	0	
	4. Ujhani-Sahaswan Road	5	0	0	20	0	0	
	5. Sahaswan-Gunnaur Road	1	0	0	25	0	0	
	6. Mujaria-Kachla Road	3	0	0	9	5	0	
	7. Jarpai-Babrala-Chandausi	0	0	0	11	0	0	
24. Bijnor	1. Bijnor-Mirapur Road	0	0	0	3	5	0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2. Bijnor-Jhallu-Haldaur-Chandpur Road	0	0	0	26	0	0	[illegible]
	3. Bijnor-Ganj Road	0	0	0	0	4	0	[illegible]
	4. Ganj-Chandpur Road	0	4	0	14	2	0	Ditto.
	5. Chandpur-Dhanura Road	0	0	0	7	0	0	Ditto.
	6. Chandpur-Noorpur Road	0	0	0	7	2	0	Ditto.
	7. Dhampur-Afzalgarh-Kalagarh Road	0	0	0	30	0	0	Ditto.
	8. Bijnor-Mandawar Road	1	0	0	Gujraula link fr. 2	0	0	Ditto.
	9. Nagina-Kiratpur Road	Madhpur link fr. 1	0	0				
	10. Sherkot-Afzalgarh Road	3	7	20	8	7	540	Ditto.
	[illegible]	0	2	0	2	0	0	Ditto.
		2	0	0	5	0	0	
	11. Afzalgarh-Kalagarh Road	0	5	0	13	0	0	
	12. Kotdwara-Najibabad Kashipur Road	0	0	0	8	6	0	Ditto.
	13. Najibabad-Kiratpur Road	16	0	0	31	0	0	Ditto.
	14. Najibabad-Kangal-Chandak Road	1	0	0	10	0	0	Ditto.
Dhampur Section	15. Nahtaur-Sherkot Road mile 1 to 13	1	0	0	16	0	0	Ditto.
	16. Dhampur-Sherkot Road mile 1–8	0	0	0	13	3	0	Ditto.
	17. Seohara-Kanpur Road mile 1–6	1	0	0	8	0	0	Ditto.
	18. Seohara-Sarjan Nagar mile 1–9	1	0	0	8	0	0	Ditto.
		1	0	0	9	0	0	Ditto.
	19. Side Road-Dhampur-Seohara to Dhampur Sugar Mill	1 mile length						Ditto.
	20. Approach Road	3/5 mile length						Ditto.
	21. Dhampur-Noorpur Road mile 1–15	1	0	0	15	0	0	Ditto.
	22. Nagina-Dhampur Road mile 1–11	1	0	0	11	0	0	Ditto.
25. Rampur Metalled Road	1. Rampur-Kosi	0	0	0	27	0	0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by the stone pillars.
	2. Rampur-Shahabad	2	3	426	19	5	0	Ditto.
	3. Rampur-Suar	0	6	600	15	1	0	Ditto.
	4. Rampur-Tanda-Derhia-Khud Tanda	5	2	330	14	3	280	Ditto.
	Rampur-Khud-Tanda Portion	13	2	180	21	5	0	
	5. Tanda	3	2	450				Ditto.
Unmetalled Roads	6. Rampur-Bengaon	0	0	0	3	4	0	Ditto.
	7. Karbala Road	0	0	0	0	7	488	Ditto.
	8. Milk-Kemri	0	0	0	13	0	0	Ditto.
	9. Milk-Patwai	0	0	0	9	4	0	Ditto.
	10. Bilaspur-Kemri	0	0	0	7	1	0	Ditto.
	11. Rampur-Kemri	0	0	0	9	2	240	Ditto.
	12. Patta Kemri	0	0	0	7	0	0	Ditto.
	13. Kemri-Mahroah	0	0	0	8	0	0	Ditto.
	14. Hara-Piplia	0	0	0	9	0	0	Ditto.
	15. Dhansura-Bathouda	0	0	0	5	0	0	Ditto.
	16. Bilaspur-Uttra	0	0	0	10	0	0	Ditto.
	17. Sur-Bilaspur	0	0	0	17	0	0	Ditto.
	18. Khajoori Khera Methikhera	0	0	0	5	0	0	Ditto.
	19. Khud-Tirli	0	0	0	9	0	0	Ditto.
	20. Manpur-Darial	0	0	0	3	0	0	Ditto.
	21. Darhai-Kishanpur	0	0	0	8	0	0	Ditto.
	22. Nankera-Kemri	0	0	0	5	0	0	Ditto.
	23. Shahabad-Dhakia	0	0	0	9	0	0	Ditto.
	24. Fazalpur-Jajpur	0	0	0	5	0	0	Ditto.
	25. Akora-Rampur-Ujha Road	0	0	0	10	3	0	Ditto.
26. Unnao	1. Unnao-Hardoi Road	1	0	0	20	0	0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars.
	2. Allahabad-Unnao (Unnao-Bighapur-Lalganj Road)	92	0	0	123	0	0	Ditto.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
उन्नाव

(4)

संख्या-266 (1)/23-11-2016-1/2(26)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव- इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-987नि0/128-01नि0/2015-16, दिनांक 21-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0) की आगणित लागत रु0 1191.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु0 357.00 लाख (रुपया तीन करोड़ सत्तावन लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	आगणित लागत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन	अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	उन्नाव	जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0)	1191.00	357.00	281.00	76.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

(10)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

ned by CamScanner

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में न रखी जाये।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/परियोजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(9) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे सेतु कार्य स्पान, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य प्रमुख विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(10) परियोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियां तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) कार्य की लागत से अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(13) मूल्य ह्रास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा कराया जायेगा।

(14) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-01-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0106-राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/

ined by CamScanner

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

3

सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(2) तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3-1340/दस-2014-100(4)/2002-टी0सी0, दिनांक 01-10-2014 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-853/दस/2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 260 (1)/23-11-2016-1/2(26)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम, (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/जिलाधिकारी, उन्नाव।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0 1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-6/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- [illegible] अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

(12)

ned by CamScanner

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

15

Area Calculation Details

Discription	Chainage	Length	Exsisting Width	Proposed Width
Forest Land	0.00	0.00	7.00	12.00
	50.00	50.00	7.00	12.00
	100.00	50.00	7.00	12.00
	150.00	50.00	7.00	12.00
	200.00	50.00	7.00	12.00
	250.00	50.00	7.00	12.00
	300.00	50.00	7.00	12.00
	350.00	50.00	7.00	12.00
	400.00	50.00	7.00	12.00
	450.00	50.00	7.00	12.00
	500.00	50.00	7.00	12.00
	550.00	50.00	7.00	12.00
	600.00	50.00	7.00	12.00
	650.00	50.00	7.00	12.00
	700.00	50.00	7.00	12.00
	750.00	50.00	7.00	12.00
	800.00	50.00	7.00	12.00
	850.00	50.00	7.00	12.00
	900.00	50.00	7.00	12.00
	950.00	50.00	7.00	12.00
	1000.00	50.00	7.00	12.00
	1050.00	50.00	7.00	12.00
	1100.00	50.00	7.00	12.00
	1150.00	50.00	7.00	12.00
	1200.00	50.00	7.00	12.00
	1250.00	50.00	7.00	12.00
	1300.00	50.00	7.00	12.00
	1350.00	50.00	7.00	12.00
	1400.00	50.00	7.00	12.00
	1450.00	50.00	7.00	12.00
	1500.00	50.00	7.00	12.00
	1550.00	50.00	7.00	12.00
	1600.00	50.00	7.00	12.00
	1650.00	50.00	7.00	12.00
	1700.00	50.00	7.00	12.00
	1750.00	50.00	7.00	12.00
	1800.00	50.00	7.00	12.00
	1850.00	50.00	7.00	12.00
	1900.00	50.00	7.00	12.00
	1950.00	50.00	7.00	12.00
	2000.00	50.00	7.00	12.00
	2050.00	50.00	7.00	12.00
	2100.00	50.00	7.00	12.00
	2150.00	50.00	7.00	12.00
	2200.00	50.00	7.00	12.00
	2250.00	50.00	7.00	12.00
	2300.00	50.00	7.00	12.00
	2350.00	50.00	7.00	12.00
	2400.00	50.00	7.00	12.00
	2450.00	50.00	7.00	12.00
	2500.00	50.00	7.00	12.00
	2550.00	50.00	7.00	12.00
	2600.00	50.00	7.00	12.00
	2610.00	10.00	7.00	12.00
Total Length		2610.00		
Area In Hectare			1.827	3.132

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

J.E.
C.D.-1 P.W.D.

A.E.
C.D.-1 P.W.D.

E.E.
C.D.-1 P.W.D.